राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी - कृष्णपाल सिंह चौहान आर.ए.एस
मुकदमा संख्या - 15/19

श्रीमती ललितकंवर पत्नी श्री मदन सिंह शक्तावत निवासी कोटडा कालेडा
तहसील व जिला भीलवाड़ा

-प्रार्थी

बनाम

1. श्री मालुराम पुत्र श्री लक्ष्मीलाल देवपुरा निवासी बागोर त० माण्डल
2. श्रीमती प्यारी देवी पत्नी श्री हीरालाल तेली ——"——
3. श्री शंकरलाल पुत्र श्री हीरालाल ओझा ——"——
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डल त० माण्डल

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक - 29.3.19

:आदेश:

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बागोर I पटवार हलका बागोर I तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 7567/514 कुल किता 01 रकबा 0.2 बीघा — बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 14-01-19 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम बागोर पटवार हलका बागोर I तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 7567/514 कुल किता 01 रकबा 0.2 बीघा — बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक बागोर को 300/- रूपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि - तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल भीलवाड़ा